न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 135/2018

वादीगण :–

1. कृष्णाकवंर पत्नी स्व. हरिसिंह राजपूत
2. शैलेन्द्रसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह राजपूत
3. चंचल कवंर पुत्री स्व. हरिसिंह समस्त जातियान–राजपूत निवासीगण–खंवर तहसील जायल जिला–नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गजेन्द्रसिंह पुत्र गोपालसिंह
2. हिम्मतसिंह पुत्र गोपालसिंह
   जातियान–राजपूत निवासीगण खंवर तहसील जायल जिला–नागौर
3. संतोषकवंर पुत्री गोपालसिंह पत्नी चेनसिंह जाति राजपूत निवासी खंवर तहसील जायल हाल निवासी किशनगढ़ जिला अजमेर।
4. आनन्दकवंर पुत्री गोपालसिंह पत्नी महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी खंवर तहसील जायल हाल निवासी डीडवाना
5. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

वादीगण की ओर से श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 की ओर से वकील श्री इन्द्रसिंह राठौड़
प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या 5 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 04/9/2020

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 समस्त स्व. गोपालसिंह पुत्र कुशालसिंह के उत्तराधिकारी है। जिनके पुश्तैनी बढेर के खेताय ग्राम खंवर तहसील जायल में खसरा नं. 182, 183/688, 415, के रूप में आये हुये है जिनकी खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। इसी प्रकार एक खेत खसरा नं. 546/1 ग्राम खंवर में स्थित है। जो वादी संख्या 1 की सास तथा वादी संख्या 2 व 3 की दादी स्व. जगदीश कवंर के नाम है, जिनके देहान्त हो चुका है तथा फौतगी नामान्तकरण अभी तक नहीं भरा गया है। इस प्रकार मुतदाविया समस्त खेताय वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के

04/9/2020
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल (नागौर)

संयुक्त खातेदारी के है। मुतदाविया खेताय की भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में छोड़ दिया है। इस कारण मुतदाविया खेताय की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित है, जो वादीगण बाई मीट्स एण्ड बॉउण्डस के प्राप्त करने के हकदार है, यदि किसी कारण से वादीगण का 1/3 हिस्सा नहीं माना जावे तो विकल्प के तौर पर वादीगण का 1/5 हिस्सा घोषित किया जावे। मुतदाविया खोतय की भूमि का भौतिक रूप से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य में विभाजन नहीं हो रखा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आजकल वादीगण से नाराज है तथा वादीगण को उनके हिस्से से की भूमि में काश्त करने नहीं दे रहे है तथा वंचित रखते हुये सम्पूर्ण हिस्से की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है।

अतः वादग्रस्त खेताय ग्राम खंवर तहसील जायल के खसरा नं. 182, 183/688, 415, 546/1 की भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा या विकल्प के तौर पर 1/5 हिस्सा पृथक–पृथक घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में मौका पर अलग से दी जावे। साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे कि वे वादीगण को उनके हिस्से की भूमि में काश्त करने से नहीं रोके।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 3, 4 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रसिंह राठौड़ ने वकालात नामा मय जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 का जरिये रजि. एडी के भिजवाया गया सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने पर भी गैर हाजिर रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 5 वाद पत्र में परफोर्मा पक्षकार है। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1,3,4 जबाव काउण्टर क्लेम पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) कायम की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से तय नही किये गये। वकील प्रतिवादीगण संख्या 1,3 व 4 ने जवाब काउन्टर क्लेम में वादपत्र के आंशिक पैराज को स्वीकार कर वादीगण तथा प्रतिवादीगण के मध्य में किसी प्रकार का विरोध नहीं होने तथा वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का प्रत्येक खसरे की भूमि में 1/5–1/5 हिस्सा होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा अपना हिस्सा हकत्याग किये जाने का कथन सरासर झूठा, बेबुनियाद होना, वादीगण को वादपत्र में वर्णित हिस्से की भूमि से वंचित रखने का पैरा गलत मनगढ़त होने के संबंध में निवेदन किया। प्रतिवादीगण ने जवाब काउन्टर क्लेम के पैरा संख्या 3 (अ से य) के अनुसार मुतदाविया खेताय की भूमि का मौके काबिजे काश्त होने पर इसी अनुरूप बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 ने मुतदाविया खेताय की भूमि को काउण्टर कलेम के अनुसार वादपत्र को स्वीकार किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद फरमावे।

हस्तगत प्रकरण में वकील वादीगण तथा प्रतिवादीगण दोनो ही रेकर्डेड खातेदार है तथा मुतदाविया खेताय का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के क्लेम व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर तद्नुसार बंटवाड़ा चाहा है तथा वाद पत्र में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस हेतु वकुलाय उभय पक्षकारान ने निवेदन किया गया। जिस पर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल
04/9/2020
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

साक्ष्य वादी तथा साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। हस्तगत प्रकरण में साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी बन्द की जाने पर पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या 47/39, खाता संख्या 58/51 शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 जबाब काउण्टर क्लेम का गहनता पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई है साथ ही प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है, बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी में वर्णित खेतायों में प्रत्येक खातेदारान् का निहित हिस्से अनुसार बंट किया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में समस्त पक्षकारान वादपत्र में संयाजित किये गये है। फलतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये न्यायिक दृष्टिकोण से आंशिक तौर पर वादपत्र मय प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम के अनुसार आशिंक स्वीकार जाकर वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायालय मत में उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

— : : आदेश : —

यत् का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय काउण्टर क्लेम आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे ग्राम खांवर पटवार हल्का सोमणा तहसील जायल के वादग्रस्त खेत खसरा नं. 182, 16.13 बीघा, खसरा नं. 183/688 रकबा 4.15 बीघाा, खसरा नं. 415 रकबा 8.07 बीघा, खसरा नं.546/1 रकबा 8.19 बीघा भूमि का राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के अध्याय 4 में वर्णित नियम 18 से 21 की पालना करते हुये पक्षकारान की उपस्थिति में खेताय का बंटवारा प्रस्ताव मय पक्षकारान के आने जाने बाबत् रास्ते का अंकन नजरी नक्शे में दर्शाते हुये तैयार कर 2 प्रतियों में आगामी तारीख पेशी दिनांक ......16/09/2020 तक न्यायालय हाजा को भिजवाया जावे। प्राथमिक डिक्री पर्चा तैयार हो। तद्नुसार तहरीर जारी हो।

04/9/2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 04/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

04/9/2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल